अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध वाद सं0 78 (I) / 2017-18

दिनांक	आदेश फलक	अभ्युक्ति
16.4.18	आवेदिका पुष्पा देवी पति देवकी राय सां0 – बारामुडी जिला धनबाद ने मौजा बारामुडी मौजा नं0 53, खाता नं0 17 प्लॉट नं0 251,252, रकवा 14 1/4 डिसमिल भूमि के हुए दाखिल खारिज मे लिपकीय भूलवश मौजा नं0 बारामुडी के स्थान पर मौजा पाण्डरपाला दर्ज हो गया है। जिसे सुधार हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध मे राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 3/5/18 को रखें। अंचल अधिकारी, धनबाद।	
9.5.18	अभिलेख उपस्थापित। संबधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन समर्पित। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बारामुडी मौजा नं0 03, खाता नं0 17 प्लॉट नं0 251,252 कुल रकवा 14 1/4 डिसमिल निबधित दलील सं0 4117/28.11.17 द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं0 274(I)10–11 द्वारा हुआ है। परन्तु हुए दाखिल खारिज मे लिपकीय भूलवश मौजा बारामुडी के स्थान पर मौजा पाण्डरपाला आदेश फलक एवं शुद्धि पत्र मे अंकित हो गया है। जिसके अनुसार मौजा पाण्डरपाला अन्तर्गत जमाबंदी सं0 3213 मे लगान रसीद निर्गत है। जिसे मौजा पाण्डरपाला के स्थान पर मौजा बारामुडी मौजा नं0 03 सुधार हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है। अतः हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा बारामुडी मौजा नं0 03, खाता नं0 17 प्लॉट नं0 251,252 कुल रकवा 14 1/4 डिसमिल के हुए दाखिल खारिज केश सं0 274(I)10–11 में लिपकीय भूलवश मौजा बारामुडी के स्थान पर मौजा पाण्डरपाला हो गया है। जिसे सुधार कर मौजा बारामुडी मौजा नं0 03 के अन्तर्गत पूर्व के जमाबंदी को विलोपित करते हुए जमाबंदी को कायम करें। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें। तथा नामान्तरण अभिलेख सं0 274(I)10–11 आवश्यक संशोधन करें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी, धनबाद। — अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

पत्रांक [illegible] दिनांक 18/5/18

प्रेषित,

श्री सरदार काशीश्वर सिंह
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 1, धनबाद।

आपके उचित प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि निदेश दिया जाता है कि मौजा बारामुड़ी मौजा नं० 03, खाता नं० 17 प्लॉट नं० 251,252 कुल रकबा 14 1/4 डिसमिल के हुए दाखिल खारिज केस सं० 274(I)10–11 में लिपकीय भूलवश मौजा बारामुड़ी के स्थान पर मौजा पाण्डरपाला हो गया है। जिसे सुधार कर मौजा बारामुड़ी मौजा नं० 03 के अन्तर्गत पूर्व के जमाबंदी को विलोपित करते हुए जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।